

(Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(1)-19/2024 dated 23.11.2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**

No. UD-A(1)-19/2024

Dated Shimla-2, the

23-12-2024

NOTIFICATION

WHEREAS, a proposal for inclusion of some areas in Municipal Council, Dehra, District Kangra was notified in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 5 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act. No. 13 of 1994) for inviting objections from the inhabitant(s)/person(s) likely to be affected thereby, vide this Department Notification No. UD-A(1)-19/2024 dated 23.11.2024 and published in Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh on 24.11.2024;

AND WHEREAS, the objections received in this regard, within the stipulated period were considered by State Government and necessary decision was taken thereon, accordingly;

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under sub-section (3) of section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (State Act No. 13 of 1994), is pleased to include the areas specified in THE SCHEDULE given below, in the Municipal Council, Dehra, District Kangra, Himachal Pradesh from the date of publication of this notification in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh:-

"Schedule"

Sr. No.	Name of Patwar circle	Name of Muhal/ Mauza	Complete C) or Partal (P)	Khasra Nos Proposed	Area in Hectare
1	2	3	4	5	6
1.	Paisa	Ladana	P	517/417	24-53-37
2.		Ladana	P	419	00-36-28
3.		Ladana	P	424	07-54-85
4.		Ladana	P	420	00-53-15
5.		Digan	P	182	23-69-36
6.		Digan	P	203	25-65-30
7.	Dhwala	Barwara	P	188/1	02-70-13
8.	Dehra	Jakhuni	C	690/552	01-19-83
9.		Jakhuni	C	692/552/1	01-04-37
10.		Jakhuni	C	673/567	01-73-42
11.		Jakhuni	C	695/573	00-75-44
12.		Jakhuni	C	683/671	00-73-33
Total				12	90-48-83

The Governor , Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 read with sub-section (1) of Section 80 of Act ibid is further pleased to exempt the land and buildings in the areas specified in THE SCHEDULE from payment of property tax for a period of 03 years from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. The residents of these areas shall continue to retain their customary rights as provided in Wazib-Ul-Urj of the record of rights.

By Order,

**(Devesh Kumar)
Pr. Secretary (Urban Dev.) to the
Govt. of Himachal Pradesh**

Endst. No. : As above. Dated Shimla-2, the 23-12- 2024

Copy is forwarded to the following for information & necessary action :-

1. The Secretary (Panchayati Raj) to the Govt. of Himachal Pradesh for issuance of Notification under the H.P. Panchayati Raj Act, 1994, for excluding these areas from the respective Gram Panchayats/Gram Sabha Area immediately.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law-Legal) to the Govt. of Himachal Pradesh.
3. The Secretary, State Election Commission, H.P.
4. The Director, Urban Dev., HP, Palika Bhawan, Talland, Shimla-2
5. The Director, Panchayati Raj, H. P. Shimla-9 for similar action.
6. The Director, Census Operation, H.P., Shimla-5.
7. The Deputy Commissioner, Kangra, H.P.
8. The Executive Officer, Municipal Council, Dehra, District Kangra, HP



**((Devesh Kumar)
Pr. Secretary (Urban Dev.) to the
Govt. of Himachal Pradesh**

हिमाचल प्रदेश सरकार
शहरी विकास विभाग

संख्या यू0डी0-ए0(1)-19/2024

तारीख: शिमला-2

23-12-2024

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू0डी0-ए0(1)-19/2024 तारीख 23.11.2024 नगरपालिका परिषद देहरा, जिला कांगड़ा में कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार तद्वारा प्रभावित होने वाले संभाव्य निवासी(निवासियों)/व्यक्ति(व्यक्तियों) से आक्षेप/आक्षेपों को आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया और जिसे राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 24.11.2024 को प्रकाशित किया गया था;

और इस बाबत नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994(1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को इस अधिसूचना के राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से नगरपालिका परिषद देहरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित करने के आदेश देते हैं।

“अनुसूची”

क्रम संख्या	पटवार वृत्त का नाम	मोहाल/मौजा का नाम	पूर्णतः/आंशिक	प्रस्तावित खसरा न0	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1.	पाईसा	लदाना	आंशिक	517/417	24-53-37
2.		लदाना	आंशिक	419	00-36-28
3.		लदाना	आंशिक	424	07-54-85
4.		लदाना	आंशिक	420	00-53-15
5.		डिगुण	आंशिक	182	23-69-36
6.		डिगुण	आंशिक	203	25-65-30
7.	धवाला	बरवाड़ा	आंशिक	188/1	02-70-13
8.	देहरा	जखुणी	पूर्णतः	690/552	01-19-83
9.		जखुणी	पूर्णतः	692/552/1	01-04-37
10.		जखुणी	पूर्णतः	673/567	01-73-42

11.	जखुणी	पूर्णतः	695/573	00-75-44
12.	जखुणी	पूर्णतः	683/671	00-73-33
कुल			12	90-48-83

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल , इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में भूमि और भवनों पर संपत्ति कर के संदाय से भी इस अधिसूचना के राजपत्र(ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रों के निवासियों को अधिकार-अभिलेख के वाजीब-उल-अर्ज में यथा उपबंधित उनके रुढ़िजन्य अधिकार मिलते रहेंगे।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार
प्रधान सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: यू0डी0-ए0(1)-19/2024
प्रतिलिपि को अग्रेषित किया गया है :-

तारीख शिमला-2 23-12-2024

1. सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत इन क्षेत्रों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/सभा क्षेत्र से बाहर निकालने हेतु तुरन्त अधिसूचना जारी करने हेतु।
2. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. सचिव, निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.
4. निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश।
5. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को आवश्यक अनुपालना के लिए।
6. निदेशक जनगणना कार्य, शिमला
7. उपायुक्त, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
8. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् देहरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।



(देवेश कुमार)
प्रधान सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार